भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अंतारांकित प्रश्न सं. 425**

(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 21 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्याज निर्यात नीति

425. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि महाराष्ट्र के प्याज किसानों, विशेषकर नासिक जिले के किसानों को, प्याज निर्यात नीति में केंद्र द्वारा बार-बार और अप्रत्याशित हस्तक्षेप किए जाने के कारण गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि इन नीतिगत निर्णयों के परिणामस्वरूप घरेलू प्याज की कीमतों में तेज गिरावट आई, जिसके कारण नासिक, लासलगांव तथा अन्य प्रमुख प्याज उत्पादक क्षेत्रों के किसानों को अपनी उत्पादन लागत से कम कीमत पर प्याज बेचने के लिए विवश होना पड़ा, जबकि उपभोक्ताओं को उसके अनुरूप लाभ प्राप्त नहीं हुआ और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार मानती है कि निर्यात प्रतिबंधों के बार-बार उपयोग से अंतरराष्ट्रीय प्याज बाजार में भारत की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है तथा किसानों की आय सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का स्थिर दीर्घकालिक निर्यात नीति तैयार करने, प्याज किसानों के लिए वैधानिक मूल्य संरक्षण प्रदान करने तथा अचानक लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों से होने वाली हानियों के लिए क्षतिपूर्ति तंत्र स्थापित करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ) सरकार महाराष्ट्र और नासिक क्षेत्र सहित पूरे देश में प्याज की उपलब्धता, बाजार में आवक, थोक और खुदरा कीमतों, बफर स्टॉक की स्थिति और निर्यात रुझानों की लगातार निगरानी करती है।

प्याज की कीमतों पर कई कारकों का प्रभाव पड़ता है, जिनमें फसल क्षेत्र, मौसम की स्थिति, मौसमी प्रभाव, उत्पादन और उत्पादकता, आवक, भंडारण में होने वाली हानि, घरेलू मांग और

अंतरराष्ट्रीय कीमतें शामिल हैं। इसलिए, मंडी की कीमतों में उतार-चढ़ाव का कारण केवल निर्यात नीति में बदलाव को नहीं माना जा सकता।

मौजूदा नीतिगत ढांचा बाजार हस्तक्षेप, बफर खरीद और संतुलित व्यापार-नीतिगत उपायों का प्रावधान करता है। जब भी घरेलू आपूर्ति पर दबाव दिखाई देता है, तब जनहित तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी), निर्यात शुल्क अथवा अस्थायी प्रतिबंध जैसे संतुलित और अस्थायी उपाय लागू किए जाते हैं और आपूर्ति की स्थिति सामान्य होने पर इन्हें वापस ले लिया जाता है।

घरेलू उपलब्धता और मूल्य की स्थिति के आधार पर, प्याज की निर्यात नीति को समय-समय पर तदनुसार संशोधित किया जाता है, जिसका उद्देश्य किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के हितों में संतुलन बनाए रखना है। घरेलू उपलब्धता और कीमतों में होने वाले बदलावों पर आधारित यह लचीली निर्यात व्यवस्था सरकार को आपूर्ति और मूल्य संबंधी अप्रत्याशित स्थितियों में तुरंत प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाती है।
